न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या– 131/2018
वाद प्रस्तुति दिनांक–01.10.2018
निर्णय दिनांक–11.03.2020

1. गायत्री देवी धर्मपत्नि राजेन्द्र कुमार मित्तल जाति महाजन निवासी सुभाष बाजार टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. रेहाना बी पुत्री सुलेमान खॉ जाति मुसलमान निवासी इमाम बाड़ा पुरानी टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र हरला जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)
2. रामस्वरूप पुत्र हरसुक्खा जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)
3. मनोहर पुत्र हरसुक्खा जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)
4. बोदूराम पुत्र हरसुक्खा जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)
5. छोटू पुत्र हरसुक्खा जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)
6. रामेश्वर पुत्र हरसुक्खा जाति बैरवा निवासी ग्राम मारखेड़ा हाल निवासी नयागांव इस्लामपुरा तहसील व जिला–टोंक (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता वादीः–श्री विवके चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः–11.03.2020

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निर्णय

वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0न0 328/17 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम मारखेड़ा पटवार हल्का गहलोद भू0अ0नि0 गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है जिसके वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का किसी तरह कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण सरजोर व गिरोहबन्द व्यक्ति है जो वादीगण को नाजायज परेशान कर उन्हे उनकी उक्त वर्णित आराजीयात से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है और वादीगण को आराजी में प्रवेश करनें एवं काश्त करने में बिना किसी वैधानिक अधिकार के बाधा उत्पन कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पुत्र को आराजी में प्रवेश करने से रोकते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते है और अनुसूचित जाति का होने का हवाला देते हुए आईन्दा जमीन पर आने पर मुकदमा दर्ज करवाने की एलानियॉ धमकियॉ देते हैं। वादीगण अपनी आराजी को वर्षों से काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त कर रही है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विवाद उत्पन किया जा रहा है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नौकर, रिश्तेदार या किसी अन्य दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजी के उपयोग उपभोग में मजाहमत कारित नहीं करें एवं आराजी में प्रवेश करने एवं बोने जोने, फसल काटने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं काश्त करने का प्रयास नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से बाद तामिल किशनलाल के अलावा कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर साक्ष्यवादीगण ली गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी पत्रावली में मौजूदा दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे वादग्रस्त आराजी का वादीगण की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी प्रस्तुत प्रकरण में बाद तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं हैं इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार व अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से आराजी ख0न0 328/17 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम मारखेड़ा की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करें, बेदखल नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2020** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)